सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 159/17 **निर्णय दिनांकः 23.04.2018**

1. बलबीर पुत्र मनीराम जाति मेधवाल निवासी राणेर चक 9 एसएलडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. मुनीराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी चक 9 एसएलडी 'ए' तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28—10—2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 28—10—2010 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 9 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 71/11 में 23 बीघा भूमि के लिए अपीलाट, रेस्पोडेन्ट व तीन अन्य आवेदकों ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु वर्ष 2007 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर दिनांक 28—01—2016 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर करीब 10 वर्ष उपरान्त रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथव सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों ही एक ही चक के निवासी है। प्रकरण में अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट के धारण में 1.10 बीघा भूमि मानते हुए प्रथम वरियता कायम की गई व आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। जबकि अपीलांट के पास 6.13 बीघा कमाण्ड रकबा है। इस प्रकार दोनों ही समान वरियता बनती है। रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेन्ट के परिवार के अन्य लोगों के पास 100—150 बीघा भूमि अन्य चकों में स्थित है। जिस बाबत् कोई रिपोर्ट अदालत मातहत द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्यों को छिपाकर अर्थात अपने धारण की पूर्ण भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2002 पार्ट II पेज 1109 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2007 में चक 9 एस.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 71/11 की 23 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा अन्य आवेदक युसुफ पुत्र लालखॉ, नजीरा पत्नि इमामबक्श, बलवीर पुत्र मनीराम व वेदप्रकाश पुत्र मनीराम आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे थे।

अदालत मातहत द्वारा सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच करते हुए नियमानुसार उनके धारण की भूमि की समीक्षा करते हुए तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में पाया गया कि रेस्पोडेन्ट के धारण में अन्य आवदकों की तुलना में कम भूमि है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मानते हुए अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 9 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 71/11 की 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। अतः आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है अपीलांट अन्य भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर चक 9 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 71/11 रकबा 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन प्रथम वरियता मानते हुए किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व उनके धारण में निहित भूमि के आधार पर तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में प्रथम वरियता मुनीराम पुत्र मोटाराम जिसके धारण में 1.10

बीघा भूमि, युसुफ पुत्र लाल खॉ जिसके धारण में 5.00 बीघा भूमि, नजीरा पत्नि इमामबक्श जिसके धारण में 24.10 बीघा भूमि, बलवीर पुत्र मनीराम जिसके धारण में 13.06 बीघा भूमि व वेद प्रकाश पुत्र मनीराम जिसके धारण में 8.00 बीघा भूमि दर्शातें हुए रेस्पोडेन्ट मुनीराम पुत्र मोटाराम को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए अन्य सभी औपचारिकता करते हुए वादगत् भूमि चक 9 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 71/11 की 23 बीघा भूमि का विशेष आवंटन किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए) के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 9 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 71/11 की 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(4) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन की उनके द्वारा उक्त रकबे के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिस पर गौर किये बिना आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए आवंटन करवाया गया है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की प्रति प्रस्तुत की गई है। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि **रेस्पोडेन्ट के धारण में चक 4 जीटीएम में संयुक्त रूप से अर्थात मुनीराम, पतराम व गोपीराम पिसरान मोटाराम के नाम से 25 बीघा भूमि निहित होना दर्शित होता है। यदि उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा मान भी लेवें तब भी उसके धारण में कुल भूमि 9—10 बीघा भूमि होती है। जबकि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही 13.06 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार भी रेस्पोडेन्ट के धारण में अपीलांट से कम भूमि पाई जाती है।**

(5) प्रकरण में इसी प्रकार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा भी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अवगत कराया गया है कि अपीलांट ने भी अपने धारण की भूमि को छिपाया गया है तथा अपने आवेदन पत्र में कम भूमि अंकित की गई है। **वास्तव में अपीलांट के धारण में 18.03 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर भूमि आती है। जबकि अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र में मात्र 13.06 बीघा भूमि अनकमाण्ड जो कि 6.13 बीघा कमाण्ड के बराबर होती है को ही बताया है।** शेष भूमि को छिपाकर अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलांट भी क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। **प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों के ही द्वारा अपने—अपने धारण की भूमि को छिपाया गया है। इस प्रकार दोनों ही पक्षकारों द्वारा Concealment of facts किया गया है।**

(6) इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों के ही द्वारा अपने अपने धारण की भूमि को छिपाया गया है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व पक्षकारों के धारण की भूमि के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की जाती। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र पक्षकारों के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत अथवा आवेदन पत्र में लिखित धारण की भूमि के अनुसार ही तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया है।

उक्त तुलनात्मक विवरण में कम संख्या 2 पर युसुफ पुत्र लाल खॉ के धारण की भूमि 5.00 बीघा बारानी दशाई गई है। जबकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके धारण की भूमि कम संख्या 2 पर अंकित युसुफ पुत्र लाल खॉ के धारण की भूमि से अधिक भूमि है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित पाते है कि अदालत मातहत पुनः सभी आवेदकों के धारण की भूमि की जॉच कर, पुनः तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 28–10–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी आवेदकों/पक्षकारों के धारण की भूमि की पुनः जॉच, तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर